[illegible] लोक अदालत में 30 5/16 को पेश हो।

30 5/16 आज यह पत्रा. बैंच लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थी/वादी ने प्रा.पत्र पेश किया कि वह अपनी विवादित भूमि का सीमाज्ञान हो जाने पर दोनों पक्षकारान अपने-अपने हिस्से पर काबिज रहेंगे। कोई उज्रदारी नहीं करेंगे। प्रा.पत्र व पत्रा. किया/प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रा.पत्र पर गौर किया दोनों पक्षकारान को सुना गया। मुताबिक प्रा.पत्र वादी का वाद डिक्री किया जाता है निर्णय डिक्री अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रा. किया गया। बाद तकमील पत्रा. नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो जावे।

प्रपत्र 5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) बुडीबल्ल

पीठासीन अधिकारी :– बलवन्तसिंह RAS

उनवान

प्रतापसिंह बनाम भगवानसिंह वगैरा

दावा बाबत हुक्म इम्तनाई दवामी U/S 188 RT Act-1955

मुकदमा नम्बर :– 94/4.5.16

निर्णय दिनांक :– 30-05-2016

वादी की ओर से प्रतापसिंह की व प्रतिवादी की ओर से .... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख .... को.................. (नाम पीठासीन अधिकारी)....., उपखण्ड अधिकारी, ... के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

वादी विवादित आराजी ख.नं. 111/1-05 व 119/1-01 बीघा की पैमाईश कराके सीमाज्ञान में वादी की आराजी का हिस्सा प्रतिवादीगण की आराजी में पडोस में निकलता है तो उस रकबे पर से प्रतिवादीगण अपना कब्जा हटा लेंगे तथा प्रतिवादीगण हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द होंगे। वादी के कब्जा काश्त व खेत इत्यादि में कोई रुकावट नहीं करेंगे। मौके पर भी यथास्थिति कायम रखेंगे। निर्णय डिक्री आज दिनांक 30-5-16 को लिखाया जाकर कैम्प कोर्ट में सुनाया गया।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 30-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(बलवन्तसिंह RAS)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर,..................

वाद के खर्चे